



भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2011-12/07

मास्टर परिपत्र सं. 07/2011-12

01 जुलाई 2011

सेवा में,

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया /महोदय

माल और सेवाओं के आयात के संबंध में मास्टर परिपत्र

भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381(E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है।

2. इस मास्टर परिपत्र में 'माल और सेवाओं का आयात' विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची भी प्रस्तुत की गयी है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ('सनसेट खंड' के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 1 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा।

भवदीया,

(रश्मि फौजदार)

मुख्य महाप्रबंधक

विषय सूची

खण्ड ए - प्रस्तावना

खण्ड बी - आयात व्यापार के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

बी.1. सामान्य दिशा-निर्देश

बी.2. फार्म ए-1

बी.3. आयात लाइसेंस

बी.4. विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व

बी.5. आयात भुगतान के निपटान की समय सीमा

बी.6. विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात

खंड-सी आयात के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देश

सी-1. अग्रिम विप्रेषण

सी.2. आयात बिलों पर ब्याज

सी.3. प्रतिस्थापन आयात के बदले विप्रेषण

सी.4. प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी

सी.5. बीपीओ कंपनियों द्वारा उनके समुद्रपारीय कार्यालयों (साइटों) के लिए उपकरणों का आयात

सी.6. आयात बिलों/दस्तावेजों की प्राप्ति

सी.7. आयात का साक्ष्य

सी.8. प्राप्ति सूचना जारी करना

सी.9. सत्यापन और परिरक्षण

सी.10. आयात साक्ष्यों का अनुवर्तन

सी.11. बैंक गारंटी जारी करना

सी.12. नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने, प्लैटिनम, चांदी का आयात

सी.13. स्वर्ण का सीधे आयात

सी.14. स्वर्ण-ऋण

सी.15. प्लैटिनम, पालाडियम, रोडियम चांदी और कच्चे, कट और पॉलिश किये हुए हीरे का आयात

सी.16. आयात फैक्ट्रिंग

सी.17. वाणिज्यिक व्यापार

अनुबंध-1

अनुबंध -2

अनुबंध -3

अनुबंध -4

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

खण्ड ए-प्रस्तावना

- (i) आयात व्यापार का विनियमन भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विदेशी व्यापार के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। भारत में आयात करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि वे भारत में प्रचलित आयात-निर्यात नीति और भारत सरकार द्वारा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.381(E) द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी निदेशों के अनुरूप हैं।
- (ii) भारत में आयात के लिए अपने ग्राहकों की ओर से साखपत्र खोलते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, सामान्य बैंकिंग कार्य प्रणाली का अनुसरण करें और प्रलेखी ऋणों के लिए समान सीमा शुल्क और प्रथा (यूसीपीडीसी) आदि के प्रावधानों का पालन करें ।
- (iii) ड्रॉइंग और डिज़ाइन के आयात के संबंध में रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट सेस ऐक्ट, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक आयातकों को यह भी सूचित करें कि वे यथालागू आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

खण्ड बी - आयात व्यापार के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

बी.1.

सामान्य दिशा-निर्देश

अपने ग्राहकों की ओर से आयात भुगतान लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण की दृष्टि से अनुसरण की जानेवाली नियमावली और विनियमावली, निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई हैं। जहां पर विनिर्दिष्ट विनियमावली मौजूद नहीं है , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सामान्य व्यापार प्रथा द्वारा नियंत्रित किए जाएं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अपने सभी लेनदेनों में भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर विशेष रूप से ध्यान दें।

बी. 2.

फॉर्म ए-1

व्यक्ति, फर्म और कंपनियां भारत में आयात के लिए 500 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक के भुगतान हेतु फार्म अ-1 में आवेदन करें। (अनुबंध-4)

बी.3.

आयात लाइसेंस

नकारात्मक सूची में शामिल माल, जिनके लिए प्रचलित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है , उनको छोड़कर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक , आयात के लिए साखपत्र मुक्त रूप से खोलें और विप्रेषणों की अनुमति दें। " विदेशी मुद्रा नियंत्रण के प्रयोजन हेतु " साखपत्र खोलते समय लाइसेंस की प्रति मंगायी जाए और लाइसेंस के साथ संलग्न विशेष शर्तें, यदि कोई हों, तो उनका अनुपालन किया जाए। लाइसेंस के तहत विप्रेषण करने के बाद प्रयुक्त लाइसेंस की प्रतिलिपि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा निरीक्षकों द्वारा इसके सत्यापन किए जाने तक अपने पास रखें।

बी.4.

विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 10(6) के अनुसार विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति है कि वह उसे अधिनियम की धारा 10(5) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को दी गई अपनी घोषणा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अथवा उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली अथवा विनियमावली के अंतर्गत किसी अन्य प्रयोजन हेतु, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण स्वीकार्य है, उसका उपयोग कर सकता है।

(ii) जहां अधिगृहीत विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में माल आयात के लिए कर लिया गया है, वहां प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि आयातक आयात के लिए साक्ष्य अर्थात् बिल ऑफ एंट्री की एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, पोस्टल एग्सेल फार्म अथवा सीमा शुल्क विभाग का मूल्यांकन

प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करता है तथा इस बात से खुद को भी संतुष्ट कर लें कि विप्रेषण के मूल्य के समतुल्य माल आयात किया गया है।

(iii) 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा14/2000-आरबी में निर्धारित आयात के भुगतान की अनुमत विधियों के अलावा आयात का भुगतान भारत में किसी बैंक के पास रखे गये समुद्रपारीय निर्यातक के अनिवासी खाते में जमा द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, उक्त उप-पैराग्राफों (i) और (ii) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

बी.5

आयात के भुगतान के निपटान के लिए समय-सीमा

बी.5.1

सामान्य आयात के लिए समय सीमा

(i) मौजूदा विनियमों के अनुसार, गारंटी निष्पादन आदि के कारणों से रोकی गई राशि के मामलों को छोड़कर आयात के लिए विप्रेषणों को पोत-लदान की तारीख से अधिकतम छह महीने तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, विवादों, वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण विलंबित आयात देयताओं के भुगतान के लिए अनुमति दे सकते हैं। ऐसे विलंबित भुगतानों के ब्याज, मीयादी बिल अथवा पोतलदान की तारीख से तीन वर्षों से कम अवधि के लिए अतिदेय ब्याज की अनुमति निम्नलिखित भाग III के पैरा सी.2 के निर्देशों के अनुसार दी जाए।

बी.5.2 आस्थगित भुगतान व्यवस्था की समय सीमा

पोतलदान की तारीख से छः महीने की अवधि से आगे तीन वर्ष की अवधि से कम की अवधि के भुगतानों का प्रावधान करनेवाले आपूर्तिकर्ता और क्रेता ऋण सहित आस्थगित भुगतान की व्यवस्था को व्यापार ऋण के रूप में समझा जाता है जिसके लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण के मास्टर परिपत्र में निर्धारित प्रक्रियागत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

बी.5.3 पुस्तकों के आयात की समय-सीमा

पुस्तकों के आयात के विप्रेषण को बिना किसी समय सीमा के अनुमति दी जाए बशर्ते ब्याज भुगतान, यदि कोई है, वह भाग III के पैराग्राफ सी.2 में निहित अनुदेशों के अनुसार है।

बी.6. विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात

(i) नियमावली में दिए गए अपवादों को छोड़कर, कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बगैर किसी विदेशी मुद्रा का भारत में आयात नहीं करेगा अथवा भारत में नहीं लाएगा। चेक सहित करेंसी के आयात को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 6/2000 - आरबी द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) नियमावली, 2000 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ii) रिजर्व बैंक अपनी निर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को भारत सरकार और/ अथवा रिजर्व बैंक के करेंसी नोट भारत में लाने की अनुमति दे सकता है।

बी.6.1. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

कोई व्यक्ति ,

- (i) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर किसी भी रूप में बिना किसी भी सीमा तक भारत को विदेशी मुद्रा भेज सकता है;
- (ii) कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी भी स्थान से किसी भी सीमा तक की विदेशी मुद्रा (जारी न किए गए नोटों को छोड़कर) भारत ला सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगा कि वह व्यक्ति भारत आने पर इन विनियमों के संलग्नक में दिये गये करेंसी घोषणा फार्म (सीडीएफ) में कस्टम अधिकारियों को घोषणापत्र प्रस्तुत करें। तथापि, इसके अतिरिक्त वहां ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा करेंसी नोट, बैंक नोट अथवा यात्री चेक के रूप में लायी गयी विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हजार अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो और/अथवा किसी भी समय ऐसी व्यक्ति द्वारा लायी गई नकदी विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर (पांच हजार अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो।

बी.6.2. भारतीय करेंसी और करेंसी नोटों का आयात

- (i) अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के किसी स्थान (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से भारत लौटते समय भारत सरकार के करेंसी नोट और प्रति व्यक्ति अधिकतम 7,500 रु. की राशि तक के रिजर्व बैंक के नोट भारत ला सकता है।
- (ii) एक व्यक्ति नेपाल अथवा भूटान से 100 रुपयों से अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को छोड़कर भारत सरकार के करेंसी नोट और रिजर्व बैंक के नोट, दो में से कोई एक मामले में, भारत ला सकता है।

खण्ड सी -आयात के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देश

सी.1 अग्रिम विप्रेषण

सी.1.1.माल के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक , माल के आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन बिना किसी सीमा के अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

(ए) यदि अग्रिम प्रेषण की राशि 200,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक हो तो भारत से बाहर के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक से बिना किसी शर्त अप्रतिसंहरणीय अतिरिक्त साखपत्र अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की गारंटी ,यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर के किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक द्वारा काउंटर-गारंटी पर जारी की गयी हो, प्राप्त किये जाते हैं ।

(बी) जहाँ आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विभाग / भारत सरकार / राज्य सरकार के उपक्रम को छोड़कर) विदेशी आपूर्तिकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ है और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , आयातक के पिछले निर्यात वसूली के रिकॉर्ड तथा प्रामाणिकता से संतुष्ट है तो 5,000,000 अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर) तक के अग्रिम विप्रेषण के लिए बैंक गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव न डाले । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , ऐसे

मामलों के निपटान के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनायी गयी उपयुक्त नीति के आंतरिक दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें।

(सी) जहाँ आयातक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विभाग / उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक से अग्रिम भुगतान पर बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ है, वहाँ 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम विप्रेषण के लिए विप्रेषण भेजने से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ii) आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण के संबंध में सभी भुगतान विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।

सी.1.2

कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को अनुमति है कि वे बगैर किसी सीमा के और किसी आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रमों को छोड़कर) द्वारा गारंटी अथवा समर्थनकारी साखपत्र के बिना निम्नलिखित खनन कंपनियों से भारत में कच्चे हीरों के आयात की अनुमति दें, अर्थात्

ए) डी.बी.अर्स यू.के.लि.,

बी) रियो टिंटो, यू.के.,

सी) बीएचपी बिल्लिटोन, आस्ट्रेलिया,

डी) इंडियामा, ई.पी. अंगोला,

ई) अलरोसा, रूस,

एफ) गोखरन, रूस,

जी) रियो टिंटो, बेल्जियम,

एच) बीएचपी बिल्लिटोन, बेल्जियम

आई) नाम्बिया डाइमंड ट्रेडिंग कंपनी (पीटीवाइ) लि. (एनडीटीसी)

(ii) अग्रिम प्रेषण की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नलिखित को सुनिश्चित करें -

(ए) आयातक इस संबंध में रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार कच्चे हीरों का मान्यता प्राप्त संसाधक (प्रोसेसर) हो तथा उसका निर्यात वसूली का पिछला रिकार्ड अच्छा हो;

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद लेनदेन करें;

(सी) अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों पर ही किया जाये और देय राशि सीधे संबंधित कंपनी, जो अंतिम हिताधिकारी हो, उसी के खाते में क्रेडिट की जाए न कि संख्यांकित खाते में या अन्यथा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि घिसे हुये या रगड़ खाये हुए हीरों (कॉन्फ्लिक्ट डायमंड) के आयात के लिए विप्रेषण की अनुमति नहीं है;

(डी) भारतीय आयातक कंपनी और समुद्रपारीय कंपनी के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और पर्याप्त कर्मठता का पालन किया जाना चाहिए; और

(ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, इस संबंध में जारी फेमा/ नियमों/ विनियमों/ निदेशों के अनुसार आयातक द्वारा देश में कच्चे हीरों के आयात का सबूत देनेवाला बिल ऑफ एंट्री/ दस्तावेज की प्रस्तुति का अनुवर्तन करें;

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम की आयातक कंपनी के मामले में, जहां अग्रिम भुगतान 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक हो, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उपर्युक्त शर्तों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बैंक गारंटी की विशेष छूट की शर्त पर अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों ने बैंक गारंटी अथवा समर्थनकारी साखपत्र के बिना 5,000,000 अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के समतुल्य अथवा उससे अधिक राशि के किये गये अग्रिम भुगतान की रिपोर्ट (अनुबंध-2) में प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च में छमाही आधार पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, व्यापार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रिपोर्ट संबंधित छमाही की समाप्ति पर 15 दिनों के अंदर जमा की जानी चाहिए।

सी.1.3 वायुयान/हेलीकॉप्टर और अन्य विमानन संबंधी खरीदों के आयात हेतु अग्रिम प्रेषण

एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में अनुसूचित हवाई यातायात सेवा के रूप में कार्य करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त एयरलाइन कंपनियों को बैंक गारंटी के बिना, 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक प्रत्येक वायुयान, हेलीकॉप्टर और विमानन संबंधी अन्य खरीदों के सीधे आयात के लिए शर्तरहित, अविकल्पी समर्थनकारी साखपत्र के बिना 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। उपर्युक्त लेनदेनों के लिए विप्रेषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे।

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, लेनदेन सही है इससे संतुष्ट होने और अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लेनदेन करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक भारतीय आयातक कंपनी विदेशी तथा समुद्रपारीय विनिर्माता कंपनी के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " संबंधी मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

(ii) अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों के अनुसार ही किया जाए और संबंधित विनिर्माता (आपूर्तिकर्ता) के खाते में सीधे किया जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, यह सुनिश्चित करें कि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम विप्रेषण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक गारंटी की अपेक्षा से छूट मिली हुई है।

(v) भारत में माल का वास्तविक आयात विप्रेषण की तारीख से छः माह (पूँजीगत माल के लिए तीन वर्ष) के अंदर किया जाता है और आयातक, संबंधित अवधि की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदर आयात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का वचनपत्र देता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम का

भुगतान चरणबद्ध रूप में किया जाता है, करार के अनुसार किए गए अंतिम विप्रेषण की तारीख को आयात के दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए गिना जाएगा।

(vi) विप्रेषण करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक यह सुनिश्चित करें कि आयात के लिए कंपनी ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय/ डीजीसीए/ अन्य एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।

(vii) वायुयान और विमानन क्षेत्र संबंधी उत्पादों के आयातित न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम प्रेषण की राशि भारत को तत्काल प्रत्यावर्तित की जाती है। उपर्युक्त अनुबंधों से किसी प्रकार का बदलाव होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

सी.1.4 सेवाओं की आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक सेवाओं की आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों पर किसी सीमा के बगैर अग्रिम विप्रेषण के लिए अनुमति दें :

(ए) यदि अग्रिम की राशि 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक होती है तो समुद्रपारीय लाभार्थी से भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक से गारंटी, अथवा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक से गारंटी, यदि इस प्रकार की गारंटी भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की काउंटर-गारंटी के लिए जारी की जाती है , प्राप्त करनी चाहिए ।

(बी) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रम को 100,000 (एक लाख अमरीकी डॉलर) अमरीकी डॉलर की राशि के लिए बैंक की गारंटी के बिना आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुवर्ती कार्रवाई करें कि अग्रिम प्रेषण का लाभार्थी भारत में प्रेषणकर्ता के साथ संविदा अथवा करार के तहत अपनी बाध्यता पूर्ण करता है, ऐसा न करने पर उक्त राशि भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ।

सी.2.आयात बिलों पर ब्याज

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, लदान की तारीख से तीन वर्ष से कम अवधि के लिए समय समय पर व्यापार ऋण के लिए निर्धारित दरों पर मीयादी बिल पर ब्याज अथवा अतिदेय ब्याज के भुगतान की अनुमति दें।

(ii) मीयादी आयात बिलों के पूर्व भुगतान के मामले में, दावा की गई दर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज घटाने के बाद ही अथवा करेंसी के लिबोर , जिस पर माल का बीजक बनाया गया है, जो भी लागू हो, विप्रेषण किया जाए। जहां ब्याज के लिए अलग से दावा नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से न दर्शाया गया हो ,बीजक की करेंसी के प्रचलित लिबोर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज की कटौती के बाद विप्रेषण की अनुमति दी जाए।

सी.3. प्रतिस्थापन आयात के बदले विप्रेषण

यदि माल की कम आपूर्ति हुई है, माल क्षतिग्रस्त हो गया है, कम मात्रा में पहुंचा है अथवा रास्ते में खो गया है और मूल माल, जो खो गया है, की जमानत पर खोले गए साख पत्र की सुरक्षा के लिए आयात

लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि का उपयोग किया जा चुका है, तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक , खोए हुए माल की कीमत तक के मूल पृष्ठांकन को रद्द करें और रिजर्व बैंक को लिखे बिना आयात के प्रतिस्थापन के लिए नए विप्रेषण की अनुमति दें , बशर्ते खोए हुए माल से संबंधित बीमा दावा आयातक के पक्ष में निपटाया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिस्थापित कन्साइनमेंट लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर ही भेज दिया जाता है।

सी.4. प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी

दोषपूर्ण आयात के प्रतिस्थापन के मामलों में, यदि समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में आयातित दोषपूर्ण माल को पुनः भारत से बाहर भेजे जाने से पहले आयात किया जा रहा है तो दोषपूर्ण माल के भेजने/ वापसी के लिए आयातक ग्राहक के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार गारंटी जारी कर सकते हैं।

सी.5 कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों द्वारा अपने समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए उपकरणों का आयात

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , भारत स्थित बीपीओ कंपनियों को समुद्रपार में उनके अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटरों (आईसीसी) की स्थापना के संबंध में उनके समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए उपकरणों के आयात और उन्हें स्थापित करने की लागत हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

- (i) कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग कंपनी (बीपीओ कंपनी) को अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा संबंधित अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
- (ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक के वाणिज्यिक निर्णय , लेनदेन की विश्वसनीयता और करार की शर्तों पर ही विप्रेषण की अनुमति दी जाए।
- (iii) समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे विप्रेषण किया जाता है।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा लेखा परीक्षक से आयात के सबूत के रूप में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि माल, जिसके लिए विप्रेषण किया गया है, का वास्तव में आयात किया गया है और उसे समुद्रपारीय कार्यालय में संस्थापित किया गया है।

सी.6. आयात बिलों/दस्तावेजों की प्राप्ति

सी.6.1 आयातक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

आयात बिल और दस्तावेज आपूर्तिकर्ता के बैंकर से भारत में आयातक के बैंकर द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए । अतः निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से आयातक द्वारा सीधे आयातपत्र प्राप्त करने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक , कोई भी विप्रेषण न करें :-

- (i) यदि आयात बिल का मूल्य 300,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।
- (ii) विदेशी कंपनियों के पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं द्वारा उनके नियंत्रण कार्यालयों से प्राप्त आयात बिल।

(iii) विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित 100% निर्यात उन्मुख इकाई/इकाइयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और लिमिटेड कंपनियों के हैसियत धारक निर्यातकों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

(iv) सभी लिमिटेड कंपनियों अर्थात् पब्लिक लिमिटेड, डीमड पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

सी.6.2 निर्धारित क्षेत्रों के मामले में समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

एक विशेष क्षेत्र उपाय के रूप में, जहाँ पर आयातक कच्चे हीरों, कीमती स्टोन, कच्चे तथा सेमी-कीमती स्टोन के आयातपत्र/दस्तावेज, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से सीधे प्राप्त कर लेता है और आयातक द्वारा विप्रेषण के समय दस्तावेज सबूत प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति है कि वे आयात के लिए 300,000 अमरीकी डॉलर तक का विप्रेषण अनुमत करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित शर्तों पर ऐसे लेनदेन शुरू कर सकते हैं।

(i) आयात, मौजूदा व्यापार नीति के अधीन हो।

(ii) लेनदेन वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित हैं और वे लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हों।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी-I, " अपने ग्राहक को जानिए " संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में सावधानी बरतें और आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति /मालियत तथा निर्यात वसूली के पिछले रिकॉर्ड से संतुष्ट हों। सुविधा देने से पहले वे समुद्रपारीय बैंकर अथवा समुद्रपारीय प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्रत्येक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करें।

सी.6.3 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

(i) आयातक ग्राहकों के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, उक्त के अनुसार समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ही बिल प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति / हैसियत और पिछले वसूली रिकॉर्ड से पूरी तरह संतुष्ट हों।

(ii) विधा देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, समुद्रपारीय बैंकर अथवा प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्रत्येक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करे। तथापि, जहाँ पर बीजक की राशि 300,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति / हैसियत और पिछले वसूली रिकॉर्ड से पूरी तरह संतुष्ट हो।

सी.7. आयात का साक्ष्य

सी.7.1 प्रत्यक्ष आयात

(i) आयात के उन सभी मामलों में, जहां भारत में आयात के लिए भेजी गई/ भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की राशि 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक है तो जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, के माध्यम से संबंधित प्रेषण भेजा गया है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि आयातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है :-

(ए) घरेलू उपभोग के आयातित सामान के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि; अथवा

(बी) 100% निर्यात उन्मुख इकाई के मामले में वेयरहाउसों के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि; अथवा

(सी) डाक द्वारा आयात करने के मामले में आयातक द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यथा घोषित सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म, एक साक्ष्य के रूप में कि जिस माल के लिए भुगतान किया गया है, उसका वास्तविक रूप से भारत में आयात किया गया है।

(ii) डी/ए आधार पर किए गए आयातों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, आयातपत्र के लिए विप्रेषण भेजते समय आयात साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर दें। तथापि, कंसाइमेंट का न पहुंचना, कंसाइमेंट सुपुर्दगी/सीमा शुल्क निकासी में विलंब जैसे जायज़ कारणों से आयातक दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आयातक के अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, आयातक को आयात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित समय, किंतु प्रेषण की तारीख से अधिकतम तीन महीने तक समय का दे सकते हैं।

सी .7. 2

आयात पत्र (बिल ऑफ एंट्री) के बदले आयात का साक्ष्य

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल के आयातपत्र के बदले विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अथवा कंपनी के लेखा परीक्षक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते हैं कि माल जिसके लिए विप्रेषण भेजा गया है, उसका वास्तव में भारत में आयात हो चुका है ;

(ए) विप्रेषित विदेशी मुद्रा की राशि 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डालर)अथवा उसके समतुल्य राशि से कम है,

(बी)आयातक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक कंपनी है और जिसकी शुद्ध मालियत उसके पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है, अथवा आयातक कोई सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार का उपक्रम अथवा उसका कोई विभाग है।

(ii) उक्त सुविधा भारतीय विज्ञान संस्थान/ भारतीय तकनीकी संस्थान, जैसे वैज्ञानिक इकाई/ शैक्षणिक संस्थाएं समेत स्वाधिकृत निकायों को भी दी जाए, जिनके लेखों की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) द्वारा की जाती है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, ऐसे संस्थाओं के लेखापरीक्षक/सीईओ से इस आशय के घोषणा पत्र की प्रस्तुति पर जोर दें कि नियंत्रक और महालेखाकार उनके लेखों की जांच करते हैं।

सी .7.3. अगोचर आयात

(i) जहां आयात अगोचर रूप में हो, अर्थात् इंटरनेट/ डाटाकॉम चैनल के माध्यम से सॉफ्टवेयर या डाटा तथा ई-मेल/फैक्स के माध्यम से ड्राइंग व डिज़ाइन हो तो सनदी लेखाकार द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए कि आयातक को सॉफ्टवेयर/डाटा/ड्राइंग/ डिज़ाइन प्राप्त हो गये हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, आयातकों को सूचित करें कि वे इस खण्ड के अंतर्गत किए गए आयातों की जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को दें।

सी.8. प्राप्ति सूचना जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातक से प्राप्त साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि, पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि की पावती पर्ची जारी करें जिसमें आयात लेनदेन से संबंधित सभी संगत ब्योरे दर्ज हों।

सी.9. सत्यापन और परिरक्षण

(i) आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखा परीक्षकों समेत) आयात के दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपियों अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि का सत्यापन करें।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , भारत में आयात के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज सत्यापन की तारीख से एक साल की अवधि तक सुरक्षित रखें। तथापि, जिन मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा विवेचना चल रही हो , उनके दस्तावेजों को संबंधित जांच एजेंसी से अनुमति लेने के बाद ही नष्ट किया जाए।

सी.10. आयात साक्ष्य का अनुवर्तन

(i) यदि कोई आयातक 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के आयात के लिए किए गए प्रेषणों के संबंध में, भाग III के पैरा सी.7. की अपेक्षानुसार, प्रेषण की तारीख से तीन महीने के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , उस मामले के संबंध में अगले तीन महीने तक आयातक को पंजीकृत पत्र जारी करने समेत तेज़ी से अनुवर्ती कार्रवाई करें।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , अधिकतम 100,000 अमरीकी डॉलर के विप्रेषणों के संबंध में, जहां पर कि आयातक ने उपयुक्त दस्तावेजी आयात साक्ष्य विप्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने में चूक की है उनके आयात लेनदेनों के ब्योरे देते हुए फार्म बीईएफ (अनुबंध-1) में छमाही आधार हर वर्ष जून और दिसंबर के अंत में रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , कार्य करता हैं, छमाही जिससे विवरण संबंधित है , की समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को 100,000 अमरीकी डालर अथवा इससे कम राशिवाले आयात के साक्ष्य की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे लेनदेन की विश्वसनीयता और प्रेषक की नीयत से संतुष्ट हों। ऐसे मामलों में, कार्रवाई करने के लिए , बैंक का निदेशक मंडल एक उपयुक्त नीति बनाए और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ,तदनुसार अपने लिए आंतरिक दिशा-निर्देश स्वयं निर्धारित करें।

सी.11. बैंक गारंटी जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी के अनुसार अपने आयातक ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति है।

सी.12. नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण/ प्लैटिनम/ चांदी का आयात

सी.12.1 परेषण (कंसाइनमेंट) आधार पर आयात

नामित एजेंसियों/ बैंकों द्वारा कंसाइनमेंट आधार पर स्वर्ण आयात किया जा सकता है , जहाँ पर स्वामित्व आपूर्तिकर्ता के पास रहेगा और आयातक (कंसाइनी) आपूर्तिकर्ता (कंसाइनर) के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। आयात की लागत के लिए विप्रेषण, बिक्री होने पर और समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता और नामित एजेंसी/बैंक के बीच किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ये अनुदेश प्लैटिनम और चांदी के आयात पर भी लागू होंगे।

सी.12.2. अनिर्धारित कीमत आधार पर आयात

नामित एजेंसी/बैंक एकमुश्त खरीद आधार पर स्वर्ण आयात कर सकते हैं बशर्ते स्वर्ण का स्वामित्व आयात के समय ही आयातक के नाम में चला जाएगा परंतु स्वर्ण की कीमत , आयातक द्वारा ग्राहकों को स्वर्ण की बिक्री कर देने के बाद निर्धारित की जायेगी । ये अनुदेश प्लैटिनम और चांदी के आयात पर भी लागू होंगे ।

सी.13. स्वर्ण का सीधे आयात

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , स्वर्ण के सीधे निर्यात हेतु रत्न और जवाहरात क्षेत्र में निर्यातान्मुखी इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और नामित एजेंसियों की ओर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन साख पत्र खोल सकता है और विप्रेषण की अनुमति दे सकता है :

(i) स्वर्ण का आयात सख्ती से निर्यात आयात नीति के अनुसार ही होना चाहिए।

(ii) स्वर्ण के सीधे आयात के लिए खोले गए साख पत्र की प्रचलित अवधि सहित 'आपूर्तिकर्ता' और 'क्रेता' की ऋण अवधि 90 दिनों से अधिक के लिए न हो।

(iii) स्वर्ण के आयात से संबंधित सभी लेनदेनों हेतु बैंकर के विवेक का सही-सही उपयोग किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक यह सुनिश्चित करें कि यथोचित सावधानी का निर्वाह किया जाता है तथा ऐसे लेनदेन करते समय अपने ग्राहकों को जानिए के सभी मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी एंटी मनी लांडरिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंक ऐसे लेनदेनों की सावधानीपूर्वक निगरानी करें। आयातकों के कारबार में भारी अथवा असामान्य वृद्धि की ध्यानपूर्वक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि लेनदेन वास्तविक है।

(iv) सामान्य यथोचित सावधानी का निर्वाह करने के अलावा साखपत्र खोलने के पहले आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का भी पता लगाया जाए। आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति, कारोबार का प्रकार और निवल मालियत के साथ कारोबार के टर्नओवर की मात्रा का अनुपात उचित होना चाहिए। उपर्युक्त के अलावा, बैंक ऐसे मामलों में वास्तविक स्थिति के निर्धारण हेतु अन्य बैंकों से सावधानीपूर्वक पूछताछ भी करे। इसके अलावा, आयात/ निर्यात लेनदेनों के लेखा परीक्षा के तरीके को स्थापित करने के लिए ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी दस्तावेजों का कम से कम पांच वर्षों तक अभिरक्षण जाए।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , निर्धारित किये अनुसार आयातकों द्वारा आयात पत्र (बिल ऑफ एंट्री) की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करें।

(vi) स्वर्ण के आयात का लेनदेन करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के प्रधान कार्यालय/ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग संलग्नक-3 में दिए गए फार्मेट के अनुसार उसमें एक मासिक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, अमर बिल्डिंग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करें।

सी.14 स्वर्ण ऋण

(i) नामित एजेंसियां/प्राधिकृत व्यापारी, इस योजना के तहत जवाहरात के आयातकों को कर्ज के तौर पर आगे देने के लिए स्वर्ण का निर्यात कर सकते हैं।

(ii) निर्यातोन्मुखी उपक्रम और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयां, जो हीरे-जवाहरात के क्षेत्र में हैं, वे विनिर्माण तथा निर्यात के लिए अपनी जिम्मेदारी पर जवाहरात का आयात कर सकते हैं।

(iii) स्वर्ण ऋण की अधिकतम अवधि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति 2009-2014 अथवा तत्संबंध में समय-समय जारी की गयी अधिसूचना के अनुरूप होगी।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, स्वर्ण ऋण के आयात के लिए यथा आवश्यक 1 अप्रैल 2003 की एफडीएआई दिशा-निर्देशों के अनुसार आपाती साख पत्र खोले जा सकते हैं। आपाती (अतिरिक्त) साख पत्र की अवधि स्वर्ण ऋण की अवधि के अनुरूप होगी।

(v) आपाती (अतिरिक्त) साख पत्र केवल कर्ज के तौर पर स्वर्ण आयात का कारोबार करने के लिए अनुमत कंपनियों अर्थात् नामित एजेंसियां और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम/इकाइयां जो हीरे-जवाहरात के क्षेत्र में हैं, की ओर से खोले जा सकते हैं।

(vi) आपाती (अतिरिक्त) साख पत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बुलियन बैंकों के नाम ही जारी किये जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बुलियन बैंकों की विस्तृत सूची जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) स्वर्ण का आयात और अधिकतम 90 दिनों की प्रचलित अवधि सहित आपाती साख पत्र खोलने संबंधी वर्तमान सभी अनुदेश यथावत् बने रहेंगे।

(viii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक अपने पास पर्याप्त प्रलेखीकरण बनाये रखें, जो सभी आयातों तथा कर्ज के तौर पर स्वर्ण के आयात के लिए जारी आपाती (अतिरिक्त) साख पत्र से गहरा संबंध रखते हों।

सी.15 प्लैटिनम, पालाडियम, रोडियम, चांदी और कच्चे, कट तथा पॉलिश किये हुए हीरे का आयात (ए) प्लैटिनम, पालाडियम, रोडियम और चांदी के आयात के लिए खोले गये साख पत्र की प्रचलित अवधि सहित ' आपूर्तिकर्ता ' और ' क्रेता ' की ऋण अवधि पोत-लदान की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(बी) धातुओं और कच्चे, कट तथा पॉलिश किये हुए हीरों के आयात के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक यह सुनिश्चित करें कि यथोचित सावधानी का निर्वाह किया जाता है तथा ऐसे लेनदेन करते समय अपने ग्राहकों को जानिए के सभी मानदंडों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी एंटी मनी लांडरिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयतकों के कारोबार में भारी अथवा असामान्य वृद्धि की ध्यानपूर्वक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि लेनदेन वास्तविक है और ब्याज कमाने अथवा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के इरादे से नहीं किये गये हैं। इन धातुओं और कच्चे, कट तथा पॉलिश किये हुए हीरों के आयात संबंधी अन्य सभी अनुदेश बने रहेंगे।

सी.16. आयात लेनदारी (फैक्टरिंग)

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैक्टरिंग कंपनियों, अधिमानतः फैक्टर्स चैन इंटरनेशनल के सदस्य के साथ, आयात लेनदारी (फैक्टरिंग) की व्यवस्था कर सकते हैं।

(ii) उन्हें व्यापारियों को आयात से संबंधित मौजूदा विदेशी मुद्रा निर्देशों, प्रचलित निर्यात-आयात नीति और रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी किसी अन्य दिशानिर्देश/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

सी.17. वाणिज्यिक व्यापार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , वास्तविक वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन अथवा मध्यवर्ती व्यापार लेनदेन करते समय आवश्यक पूर्वापाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

(ए) लेनदेन से संबंधित माल भारत में आयात करने के लिए अनुमत हैं और निर्यात खंड और आयात खंड के लिए क्रमशः निर्यात (घोषणा फार्म के सिवाय) और आयात (आयात पत्र के सिवाय) के लिए लागू सभी नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(बी) संपूर्ण वाणिज्यिक व्यापार संबंधी लेनदेन 6 माह के भीतर पूरा किया जाता है।

(सी) लेनदेनों में विदेशी मुद्रा परिव्यय तीन महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं है।

(डी) निर्यात खंड के लिए समय पर भुगतान प्राप्त किया जाता है।

(ई) जहां निर्यात खंड के लेनदेनों का भुगतान आयात के भुगतान से पहले होता है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि भुगतान शर्तें ऐसी हों कि लेनदेन के निर्यात खंड के लिए प्राप्त भुगतान से लेनदेन के आयात खंड की देयता बिना विलंब समाप्त की जाती है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कृपया नोट करें कि आपूर्तिकर्ता ऋण अथवा क्रेता ऋण दोनों के रूप में अल्पावधि ऋण वाणिज्यिक व्यापार अथवा मध्यवर्ती व्यापार लेनदेनों के लिए उपलब्ध नहीं है।

बीईएफ

(मास्टर परिपत्र के खंड सी का पैरा सी.10.(ii) देखें)

अनुस्मारक भेजने के बावजूद दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त न होने पर
आयात के लिए भेजे गए विप्रेषणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम और पता -----

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नियंत्रक शाखा का नाम -----

-----को समाप्त अर्ध-वार्षिक विवरण

टिप्पणी :

i. विवरण, दो प्रतियों में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ,जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा कार्यरत है , में जमा किया जाए।

ii. विवरण में केवल उन लेनदेनों के ब्योरे को शामिल किया जाए जहाँ विप्रेषण राशि 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक हो।

iii. जहां अग्रिम विप्रेषण के समय विप्रेषण का प्रयोजन आयात था और बाद में मुद्रा का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए मुद्रा की विक्री अनुमत है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज़ जमा किए गये हैं, तो ऐसे मामलों को चूक के मामले न समझा जाए, अतः उन्हें बीईएफ विवरण में शामिल न किया जाए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक "इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" को भारत में आयात के अनंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भी वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोग के लिए सामान की बिल ऑफ एन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति उचित अवधि में प्रस्तुत की जाती है। जहां सीमा शुल्क द्वारा ईडीआई प्रणाली लागू कर दी गयी है और आयातक को सीमा शुल्क से "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की केवल एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है तो, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को यह सूचित करें कि वे माल को वेअरहाऊस/ बांड से निकालने के पश्चात घरेलू उपयोग के लिए "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की फोटो कॉपी प्रस्तुत करें जिसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथावत् सत्यापित कराने के बाद आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जहां " इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री " प्रस्तुत किया गया है ऐसे मामलों को बीईएफ विवरण में रिपोर्ट न किया जाए।

v. विवरण में भारत से 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी विप्रेषणों अथवा आयात संबंधी विदेश से प्राप्त भुगतान जिनमें अग्रिम भुगतान, विलंबित भुगतान आदि शामिल हैं, के ब्योरे निधीयन के स्रोत (जैसे ईईएफसी खाते/भारत या विदेश में रखे गए विदेशी मुद्रा खाता, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से भुगतान, आयातक के शेयरों में विदेशी निवेश आदि) पर ध्यान दिए बगैर, शामिल किए जाएं ।

vi. पिछले छमाही विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों को चालू अर्ध-वार्षिक विवरण के भाग I में पुनः रिपोर्ट न करें ।

vii. जिन मामलों में रिपोर्ट के लिए कोई लेनदेन नहीं है उन मामलों में "कुछ नहीं" विवरण प्रस्तुत किया जाए।

viii. विवरण जिस छमाही से संबंधित है उसकी समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

भाग I

आयात के दस्तावेजी सबूत पेश करने में चूक करने वाले आयातकों से संबंधित जानकारी

| क्रम संख्या | आयातक/ निर्यातक कूट सं | आयातक का नाम और पता | आयात लाइसेंस की सं. और तारीख अगर हो | मालों का संक्षिप्त विवरण | प्रेषण / भुगतान की तारीख | करेंसी और राशि | समकक्ष रुपये | टिप्पणी |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा आयात | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| आदि | | | | | | | | |
| आ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| आदि | | | | | | | | |

भाग II

पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

| क्रम सं. | आयातक का नाम और पता | बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण की भाग-I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं. | प्राप्ति -तारीख | प्रेषण की राशि | | टिप्पणी |
|---|---------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | | | | करेंसी और राशि | समतुल्य रुपये | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| आदि | | | | | | |
| आ : : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| आदि | | | | | | |

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष (छमाही) के दौरान बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

प्रमाणपत्र

- i हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही है।
- ii इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि निर्धारित क्रियाविधि के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।
- iii हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक से पूछताछ जारी रखेंगे।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम :

पदनाम :

तारीख :

स्थान :

{मास्टर परिपत्र का खंड-सी का पैरा सी.1.2(iv) देखें}

[02 मार्च , 2007 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34]

... .. को समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरों के आयात हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य या उससे अधिक अग्रिम राशि के लिए बगैर बैंक गारंटी अथवा आपाती साख पत्र (स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट) के अग्रिम विप्रेषण को दर्शानेवाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक का नाम :

प्राधिकृत व्यापारी कूट (14 अंकों में) :

| क्रम सं. | कंपनी का नाम | आयातक कंपनी का नाम और आईसी स. | बैंक गारंटी/ स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर किए गए अग्रिम भुगतान की राशि | क्या आयात साक्ष्य के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1. | डी बीअर्स यू.के. लि. | | | |
| 2. | रिओ टिंटो, यू.के. | | | |
| 3. | बीएचपी बिल्लिटोन, ऑस्ट्रेलिया | | | |
| 4. | इंडियामा ई.पी. अंगोला | | | |
| 5. | अलरोसा, रूस | | | |
| 6. | गोखरन, रूस | | | |
| 7. | रिओ टिंटो, बेल्जियम | | | |
| 8. | बीएचपी बिल्लिटोन, बेल्जियम | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 9. | नाम्बिया डायमंड | | | |
| | ट्रेडिंग कंपनी | | | |
| | (पीटीवाइ) लि. (एनडीटीसी) | | | |

तारीख :

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

स्टाम्प :

{मास्टर परिपत्र का खंड-सी का पैरा सी.13.(vi) देखें}

[09 जुलाई, 2004 का एपी (डीआरआर सिरीज़) परिपत्र सं.2]

_____ को समाप्त माह के दौरान आयातित स्वर्ण का विवरण

बैंक का नाम :

विवरण की तारीख :

| | लेनदेनों की सं. | | आयातित सोने का मूल्य | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|
| | निर्यातोन्मुख इकाई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र | नामित एजेंसी/ बैंक | (मिलियन अमरीकी डॉलर में) | | (करोड़ रुपए में) | |
| | | | निर्यातोन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र | नामित एजेंसी | निर्यातोन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र | नामित एजेंसी/ बैंक |
| स्वर्ण | | | | | | |
| (i) भुगतान पर सुपुर्दगी आधार | | | | | | |
| (ii) आपूर्तिकर्ता ऋण आधार | | | | | | |
| (iii) विप्रेषण आधार | | | | | | |
| (iv) अनिर्धारित मूल्य आधार | | | | | | |

टिप्पणी : 1. ऐसे मामलों में लेनदेनों के पूरे विवरण दिए जाएं जहां एकल निर्यातक के लेनदेनों की संख्या एक माह में दस लेनदेन अथवा आयात का सकल मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो जाता है।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यातोन्मुख इकाई/ इकाइयों और नामित एजेंसियों के ब्योरे अलग से दिए जाएं ।

{ मास्टर परिपत्र के खंड बी का पैराग्राफ बी.2. देखें }

[19 जून 2003 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 106 देखें]

फार्म-अ 1 -अनिवासी बैंक के खाते में भारतीय रुपये के अंतरण हेतु आवेदनपत्र

| | |
|---|---|
| <p>फार्म-ए 1 (केवल आयात भुगतानों के लिए) अनिवासी बैंक के खाते में भारतीय रुपये के अंतरण हेतु आवेदनपत्र</p> | <p>(हल्के नीले कागज पर छापा जाये) ए.डी.कूट संख्या -----</p> |
| | <p>फार्म संख्या (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)</p> |
| | <p>क्रम संख्या ----- (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)</p> |
| | <p>----- रुपए के समतुल्य करेंसी राशि ----- विप्रेषित</p> |

मैं/हम -----में रखे गये श्री -----के खाते से
(प्रेषक का खाता रखने वाला प्राधिकृत व्यापारी बैंक) (प्रेषक का नाम तथा पता)

----- बैंक में रखे गये खाते में
(अनिवासी बैंक के खाते का पूरा नाम जिसमें राशि जमा की गयी है,निवासी देश का उल्लेख किया जाये)

रु.----- राशि अंतरित करना चाहता हूँ/चाहते हैं जो कि भारत को आये आयातों के भुगतान जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है, -----के लिये है।

(प्रेषण के हिताधिकारी का नाम तथा पता)

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

खंड ए - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

| आयात लाइसेंस | | | | | जारी करने की | | | समाप्ति तारीख | | | लाइसेंस का अंकित मूल्य | पृष्ठांकित की जाने वाली राशि (रु.) @ | | |
|--------------|---|-------------|--------|---|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| प्रीफिक्स | | लाइसेंस नं. | सफिक्स | | | तारीख | | | तारीख | | | | | |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 5 | तारीख | माह | वर्ष | तारीख | माह | वर्ष | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

@ प्रत्येक लाइसेंस के लिए रूप्यों में पृष्ठांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्यौरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण संलग्न किया जाए । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

खंड-बी - आयात के ब्यौरे

| बीजक के ब्यौरे | | | | माल की मात्रा | माल का विवरण | वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली | किस देश का माल है | किस देश से माल भेजा गया है | माल के पोत-लदान का साधन (वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) आदि | पोत-लदान की तारीख (यदि तारीख पता न हो तो अनुमान से लिखी जाए) |
|--------------------|----------------------------------|--------|------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| क्रम सं. तथा तारीख | शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि) | करेंसी | राशि | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

खंड-सी - अन्य ब्यौरे

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | आयात के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्यौरे | (संविदा की संख्या तथा तारीख) | (संविदा की राशि तथा करेंसी) | (संविदा के तहत अवशेष) |
| 2 | यदि विप्रेषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि) | | | |

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करते हैं और समझता हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

- @ आवेदक का नाम और पता
- आयातक की कूट संख्या
- @ राष्ट्रीयता
- @ साफ अक्षरों में भरा जाए

तारीख:-----

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

- (क) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है , वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।
- (ख) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।
- (ग) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और
- (घ) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में *आयात की गयी

* आयात की जाने वाली

माल की वास्तविक कीमत है।

| | |
|----------------------|---|
| यदि आयात किया गया है | मैं/हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(कुरियर द्वारा आयात के लिए) संलग्न करता हूँ/करते हैं। |
|----------------------|---|

जो मर्दे लागू न हों , उन्हें काट दें ।

| | |
|---|---|
| @ | जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये । |
|---|---|

| | |
|-------------|---|
| तारीख ----- | (आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) |
| | |

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

| | |
|--------------------------|---|
| तारीख ----- - मुहर | प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नाम पदनाम प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता ----- |
|--------------------------|---|

प्राधिकृत व्यापारी बैंक(आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने (i) यह एक अग्रिम भुगतान है ।
में सही का
निशान
लगायें

(ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।

(iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।

(iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।

(v) दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।

(vi) _____
(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।

(सी) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के
(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

माध्यम से भुगतान द्वारा कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम -----

मुहर

पदनाम-----

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----

तारीख -----

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें ।

फार्म ए 1-विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

(सफेद कागज पर छपवाया जाये)

ए.डी.कुट सं.

फार्म सं.

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

क्रमांक-----

फार्म ए 1

(केवल आयात भुगतान हेतु)

संख्या -----

भारत में विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

रुपये -----राशि

(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)

रुपये -----राशि के

समतुल्य की करेंसी विप्रेषित ।

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

में/ हम , भारत में आयात किये गये माल , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , -----

----- (विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य

का भुगतान करने के लिए ----- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का

नाम व पता) ----- (राशि शब्दों में) की विदेशी मुद्रा -----

----- (करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

खंड ए - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

| आयात लाइसेंस | | | | | जारी करने की | | | समाप्ति तारीख | | | लाइसेंस का अंकित मूल्य | पृष्ठांकित की जाने वाली राशि (रु.) @ | | |
|--------------|---|-------------|--------|---|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| प्रीफिक्स | | लाइसेंस नं. | सफिक्स | | | तारीख | | | तारीख | | | | | |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 5 | तारीख | माह | वर्ष | तारीख | माह | वर्ष | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

@ प्रत्येक लाइसेंस के लिए रूपयों में पृष्ठांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण संलग्न किया जाए । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

खंड-बी - आयात के ब्यौरे

| बीजक के ब्यौरे | | | | माल की मात्रा | माल का विवरण | वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली | किस देश का माल है | किस देश से माल भेजा गया है | माल के पोत-लदान का साधन (वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) आदि | पोत-लदान की तारीख (यदि तारीख पता न हो तो अनुमान से लिखि जाए) |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| क्रम सं. तथा तारीख | शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि) | करेंसी | राशि | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

खंड-सी - अन्य ब्यौरे

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | आयात के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्यौरे | _____ (संविदा की संख्या तथा तारीख) | (संविदा की राशि तथा करेंसी) | _____ (संविदा के तहत अवशेष) |
| 2 | यदि विप्रषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि) | | | |

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करते हैं और समझता हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ आवेदक का नाम और पता

आयातक की कूट संख्या

@ राष्ट्रियता

@ साफ अक्षरों में भरा जाए

तारीख:-----

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

- (ई) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है , वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।
- (एफ) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।
- (जी) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और
- (एच) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में
*आयात की गयी
- * आयात की जाने वाली माल की वास्तविक कीमत है।

| | |
|----------------------|---|
| यदि आयात किया गया है | मैं/हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) संलग्न करता हूँ/ करते हैं। |
|----------------------|---|

अथवा

| | |
|----------------------|--|
| यदि आयात किया गया है | मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) प्रस्तुत कर देंगे। |
|----------------------|--|

जो मर्दे लागू न हों , उन्हें काट दें ।

| | |
|-------------|---|
| @ | जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये । |
| तारीख ----- | (आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) |

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

| | |
|---------------------|---|
| तारीख ----- मुहर | प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नाम पदनाम प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता ----- |
|---------------------|---|

प्राधिकृत व्यापारी बैंक(आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने (i) यह एक अग्रिम भुगतान है ।
में सही का
निशान
लगायें

(ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।

(iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।

(iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर

उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है।

(v) दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है।

(vi) _____
(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है।

(डी) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के
(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

माध्यम से भुगतान द्वारा कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

मुहर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम -----

पदनाम-----

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----

तारीख -----

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें।

फार्म ए 1-एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र

| | |
|---|---|
| | (हल्के पीले कागज पर छपवाया जाये) ए.डी.कुट सं. फार्म सं. |
| | (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये) क्रमांक----- |
| फार्म ए 1 (केवल आयात भुगतान हेतु) | |
| संख्या ----- | (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ) |
| एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र | रुपये -----राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित । (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये) |
| रुपये -----राशि | |

मैं/ हम , भारत में आयात के भुगतान के लिए , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , -----
----- (विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को
भुगतान करने के लिए ----- के माध्यम से (भारत में प्राधिकृत बैंक
का नाम व पता) ----- (राशि शब्दों में) की विदेशी मुद्रा -----
----- (करेंसी का नाम) का एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये विप्रेषण करना
चाहते हैं।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

खंड ए - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

| आयात लाइसेंस | | | | | जारी करने की | | | समाप्ति तारीख | | | लाइसेंस का अंकित मूल्य | पृष्ठांकित की जाने वाली राशि (रु.) @ | | |
|--------------|---|-------------|--------|---|--------------|-------|-------|---------------|------|-------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| प्रीफिक्स | | लाइसेंस नं. | सफिक्स | | | तारीख | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 5 | तारीख | माह | वर्ष | तारीख | माह | वर्ष | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

@ प्रत्येक लाइसेंस के लिए रूपयों में पृष्ठांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण संलग्न किया जाए। प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

खंड-बी - आयात के ब्यौरे

| बीजक के ब्यौरे | | | | माल की मात्रा | माल का विवरण | वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली | किस देश का माल है | किस देश से माल भेजा गया है | माल के पोत-लदान का साधन (वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) आदि | पोत-लदान की तारीख (यदि तारीख पता न हो तो अनुमान से लिखी जाए) |
|--------------------|----------------------------------|--------|------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|
| क्रम सं. तथा तारीख | शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि) | करेंसी | राशि | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

खंड-सी - अन्य ब्यौरे

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्यौरे, यदि कोई हो। | (संविदा की क्रम संख्या तथा तारीख) | (संविदा की राशि तथा करेंसी) | (संविदा के तहत अवशेष) |
| 2 | यदि विप्रेषित की जाने वाली राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण अर्थात् आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि) | | | |

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैंने /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करते हैं और समझता हूँ/ समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के अनुसार एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिए मेरे/हमारे द्वारा किये जाने वाले भुगतान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही मेरे/हमारे द्वारा किया जाएगा और जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर @ आवेदक का नाम और पता

आयातक की कूट संख्या

@ राष्ट्रीयता

@ साफ अक्षरों में भरा जाए

तारीख:-----

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म ए 2 का प्रयोग किया जाए ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

- (ए) आयात लाइसेंस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मांगा गया है , वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।
- (बी) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।
- (सी) आयात @-----की ओर से किया जा रहा है और
- (डी) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी

* आयात की जाने वाली माल की वास्तविक कीमत है।

| | |
|-------------------------|---|
| यदि आयात किया गया है तो | मैं /हम कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर/(कुरियर द्वारा आयात के लिए) संलग्न करता हूँ/करते हैं। |
|-------------------------|---|

अथवा

| | |
|-----------------------|---|
| यदि आयात किया जाना है | मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर लिफाफा/(कुरियर द्वारा आयात के लिए) तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे। |
|-----------------------|---|

जो मर्दे लागू न हों , उन्हें काट दें ।

| | |
|-------------|---|
| @ | जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय आदि के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो तो, सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये । |
| तारीख ----- | (आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) |
| | |

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र के संदर्भ जिनके अनुसार मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाए। यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो, लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख भी किया जाए)।

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| तारीख ----- | प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर |
| मुहर | नाम |
| | पदनाम |
| | प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता ----- |

प्राधिकृत व्यापारी बैंक (आयातक का बैंक) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि ;

(ए) यह भुगतान

उपयुक्त खाने (i) यह एक अग्रिम भुगतान है ।
में सही का
निशान
लगायें

(ii) हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।

(iii) हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।

(iv) आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे की प्रतिलिपि

बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।

(v)

दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।

(vi)

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(बी) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।

(ई) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को ----- के
(विदेशी बैंक का नाम तथा पता)

माध्यम से भुगतान द्वारा कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

| | |
|-------------|---|
| मुहर | ----- प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी का नाम ----- पदनाम----- |
| तारीख ----- | प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता----- |

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें ।

**मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची
माल और सेवाओं का आयात**

| क्रम | परिपत्र संख्या | दिनांक |
|------|------------------------------------|----------------|
| 1. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 106 | 19 जून 2003 |
| 2. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 4 | 19 जुलाई 2003 |
| 3. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.9 | 18 अगस्त 2003 |
| 4. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15 | 17 सितंबर 2003 |
| 5. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.49 | 15 दिसंबर 2003 |
| 6. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.66 | 6 फरवरी 2004 |
| 7. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.72 | 20 फरवरी 2004 |
| 8. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.2 | 9 जुलाई 2004 |
| 9. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.34 | 18 फरवरी 2005 |
| 10. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.1 | 12 जुलाई 2005 |
| 11. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.33 | 28 फरवरी 2007 |
| 12. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.34 | 2 मार्च 2007 |
| 13. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.63 | 25 मई 2007 |
| 14. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.77 | 29 जून 2007 |
| 15. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.18 | 7 नवंबर 2007 |
| 16. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.37 | 16 अप्रैल 2008 |
| 17. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.03 | 4 अगस्त 2008 |
| 18. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.08 | 21 अगस्त 2008 |
| 19. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.09 | 21 अगस्त 2008 |
| 20. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.12 | 28 अगस्त 2008 |
| 21. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.13 | 1 सितंबर 2008 |
| 22. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15 | 8 सितंबर 2008 |
| 23. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.21 | 29 दिसंबर 2009 |
| 24. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.56 | 29 अप्रैल 2011 |
| 25. | एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.59 | 06 मई 2011 |